

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/Rep.&add govt build in TSP/2016-17/

दिनांक :

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
राजस्थान, उदयपुर।

विषय : एचसीएम रीपा उदयपुर के प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रु. 110.16 लाख का उपयोग center of excellence रेजीडेन्सी परिसर मधुवन उदयपुर में करने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एचसीएम रीपा उदयपुर के सुदृढीकरण कार्य हेतु अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण कार्य हेतु संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 49/2017-18 जयपुर दिनांक 27.07.2017 द्वारा राशि रु. 110.16 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। विभागीय पत्रांक 33981-90 दिनांक 28.12.2017 द्वारा इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी एवं विस्तृत तकनीकी स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग से चाही गयी। एचसीएम रीपा उदयपुर के सुदृढीकरण कार्य हेतु अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण स्वीकृत राशि रु. 110.16 लाख विभागीय समसंख्यक पत्रांक 33981-90 दिनांक 28.12.2017 द्वारा आपके कार्यालय को हस्तान्तरित की जा चुकी है।


राज्य सरकार से पत्रावली के पैरा संख्या 118 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में राजस्थान हरीशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के सुदृढीकरण कार्य हेतु अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण स्वीकृत राशि रु. 110.16 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की जाती है।

जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (with modern facilities and amenities /center of excellence) रेजीडेन्सी परिसर मधुवन उदयपुर का निर्माण पश्चात भवन का उपयोग शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में किया जायेगा लेकिन वर्तमान में इस कार्य हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

अतः राज्य सरकार से पत्रावली के पैरा संख्या 118 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में राजस्थान हरीशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के सुदृढीकरण कार्य हेतु अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण स्वीकृत राशि रु. 110.16 लाख का उपयोग जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (with modern facilities and amenities /center of excellence) रेजीडेन्सी परिसर मधुवन उदयपुर हेतु करने की स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि रु. 110.16 लाख कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड उदयपुर को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया राशि हस्तांतरित कर विभाग को सूचित करें।


भवदीय


(अंजली राजोरीया) IAS
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

कृ.प.उ.

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/Rep.&add govt build in TSP/2016-17/43752-68 2/12/19 दिनांक :
प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख/संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन जयपुर/
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड उदयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि स्वीकृति का उचित पुस्तांकन करावे।
12. निदेशक, मॉनिटरिंग/प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
13. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)